निर्णय न्यायालय श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस.
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण नं. 81/2014 प्रा. पत्र
दायरा दिनांक :- 10.11.2014
निर्णय दिनांक :- 18.11.21

<u>उनवान</u>

हंसराज पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बामला तह. बारां

<u>बनाम</u>

1. कृष्णाबाई बेवा हर्षवर्धन जाति ब्राह्मण
2. विशाल पुत्र हर्षवर्धन जाति ब्राह्मण नाबा.
3. आदित्य पुत्र हर्षवर्धन जाति ब्राह्मण नाबा.
4. निधि पुत्री हर्षवर्धन जाति ब्राह्मण नाबा. जरिये वली माता कृष्णाबाई बेवा हर्षवर्धन जाति ब्राह्मण निवासी बामला तह. बारां
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

प्रा. पत्र धारा 212 RTA
निर्णय दिनांक :- 18.11.21

अभिभाषक उपस्थित :- 1 श्री ओम प्रकाश मेहता-II - प्रार्थी
2. श्री ज्ञान प्रकाश - अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी गण के न्याया. में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बामला तह. बारां में आराजी ख. नं. 610 रकबा 0.09 हे. स्थित है जो विवादित आराजी है उक्त आराजी शुरू से ही प्रार्थी के खातेदारी की आराजी के मध्य में स्थित होने के कारण वर्तमान में प्रार्थी का तथा उससे पूर्व उसके ... मोहनलाल का काश्त व कब्जा चला आ रहा है ... 610 रकबा 0.09 हे. का काली धन व डग ... के पिता द्वारा ... काश्त बनाया गया है उक्त आराजीयात ... कभी भी अप्रार्थी ... अप्रार्थीगण

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

क्र० 1 ता 4 के पिता व पार्टी का कब्जा नहीं रहा है ना उनके द्वारा कभी जोत की जाकर संभाला है केवल राजस्व कार्मिकों द्वारा जानबूझ कर प्रार्थी के पिता मोहनलाल से कहकर कि गैर मुमकिन नाला किस्म है इसलिए उक्त आराजी आवंटित नहीं की जा सकती किन्तु बाद में किस्म परिवर्तन कर खिवायतन ना-काबिल काश्त होते हुए भी हर्षवर्धन पुत्र महेश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण को सन् 1989 से आवंटित कर दी किन्तु सन् 1989 या उसके पूर्व या बाद कभी भी अपने जीवन काल मे हर्षवर्धन का कब्जा नहीं रहा है शुरू से ही उक्त आराजी जायज अर्सा 60-70 वर्ष से राज० काश्तकारी अधिनियम जारी होने की दिनांक 15-10-55 के पूर्व से प्रार्थी के पिता का व उनके देहान्त के बाद उक्त आराजी बाहमी बटवारे मे प्रार्थी को प्राप्त हुई है उनके मध्य मे उक्त आराजी स्थित होने के कारण प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है इस प्रकार 15-10-55 से ही प्रार्थी व उसके पिता का कब्जा होने के कारण उनके हक हकूक परिपक्व हो चुके है इस प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रार्थी उक्त वाला की आराजी ख० नं० 610 रकबा 0.09 हेक्ट को अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम अंकन करवाने का अधिकारी है

उक्त वाला की आराजी ख० नं० 610 रकबा 0.09 हे० के आस पास ख० नं० 646, 647, 605, 608, 609, 645, प्रार्थी के सह खातेदारी के है तथा बाहमी बटवारे मे उक्त सभी खसरा नम्बरान प्रार्थी को प्राप्त हुए है तथा प्रार्थी का ही उक्त आराजी का मध्य होने से ख०नं० 610 रकबा 0.09 हे० पर बाहमी बटवारे के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है बाहमी बटवारे मोहनलाल द्वारा जायज अर्सा 25 वर्ष पहले किया गया था तब से ही प्रार्थी का कब्जा है तथा उससे पूर्व प्रार्थी के पिता मोहनलाल का कब्जा काश्त था उक्त आराजी पर आवंटन या आवंटन के बाद भी अप्रार्थी क्र० 1 ता 4 या उनके पिता व पार्टी का [illegible] रहा है केवल राजस्व कार्मिकों द्वारा गलत रूप से [illegible] के कारण उसका नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन हो [illegible] उक्त आराजी प्रार्थी एवं उससे पूर्व उसके पिता मोहनलाल के [illegible] मे ही चली आ रही है क्योंकि

लगातार -3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with OKEN Scanner

इसके आस पास की सभी जमीन मोहनलाल जी के खातेदारी की थी जो बाद में बटवारे के अनुसार प्रार्थी को प्राप्त हुई इसके महज में ही उक्त आराजी ख.नं. 610 रकबा 0.09 हेक्टेयर स्थित होने के कारण भूधरी के रूप में प्रथम अधिकार प्रार्थी का ही था किन्तु राजस्व कर्मचारी अधिकारियो द्वारा प्रार्थी को आवंटित न कर इस भूमि को आवंटित कर दी जबकि प्रथम अधिकार प्रार्थी का था इस प्रकार आराजी ख.नं. 610 रकबा 0.09 हे० लगभग करीब 60-70 वर्ष से प्रार्थी का एवं उसके पूर्व उसके पिता का कब्जा काश्त होने के कारण उक्त आराजी को कायदे नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है सुविधा का संतुलन हर प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थी गण अपने कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गण को नोटिस तलब तलब किया गया। प्रतिवादी/अप्रार्थी गण बावजूद इत्तला के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 13.11.19 को की गयी प्रार्थी गण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बामला संवत 2068-71 खाता नं० 355, नकल जमाबंदी ग्राम बामला संवत 2068-71 खाता 452, नकल जमाबंदी ग्राम बामला संवत 2068-71 खाता नं. 451, नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबंदी ग्राम बामला संवत 2068-71 खाता नं. 531, नकल नक्शा नं. 149 ग्राम बामला, नकल नक्शा नं. 463 ग्राम बामला पेश किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी मौजा ग्राम बामला में स्थित है उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के मध्य में स्थित है उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी के पिता मोहनलाल का कब्जा काश्त था उनके मरने के बाद प्रार्थी का कब्जा काश्त लगभग 30 वर्ष से है अप्रार्थी गण का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा और न ही [illegible] पर जाकर देखा। उक्त आराजी का प्रार्थी [illegible] नहीं [illegible] गया [illegible] उक्त आराजी का इन्द्राज पुत्र [illegible] को दिनांक सन 1989 में आवंटित

लगातार-4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कर दी गई परन्तु वर्ष 1989 या उससे पूर्व या बाद में कभी भी हर्षवर्धन का कब्जा नहीं रहा है उक्त आराजी पर लगभग 60-70 वर्ष से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी का काबिज लगान सहित के कब्जा काश्त होने से राज. काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने से दिनांक 15-10-1955 के पूर्व भी प्रार्थी के पिता का व उनके देहान्त के बाद उक्त आराजी बाहसी वरवारे से प्रार्थी को प्राप्त हुई है वर्ष 1955 से पूर्व का प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा प्रार्थी के हक हकूक परिपक्व हो चुके है। इस प्रकार प्राप्त कब्जे के आधार पर प्रार्थी खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है अप्रार्थी गण को गैर कानूनी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बमोला संवत 2068-71 खाता नं. 452 के ख.नं. 595, 646, 647, की भूमि विजय कुमार, हंसराज, मदन कुमार, योगेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम बमोला संवत 2068-71 खाता नं. 531 में हर्षवर्धन पुत्र महेश कुमार कौम ब्राह्मण का नाम दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम बमोला संवत 2068-71 खाता नं. 457 के ख.नं. 605, 608, 609, — बारानी। प्रार्थी गण के खातेदारी में दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि ख.नं. 610 रकबा 0.09 हे० भूमि अप्रार्थी गण के पिता हर्षवर्धन के खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी में नहीं है नकल नक्शा ट्रेस के अनुसार बाडी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के भाई बन्धुओं की आराजी के मध्य-बीच में अप्रार्थी की भूमि स्थित है उक्त भूमि को हड़पने की नीयत से प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है जबकि प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त ख.नं. 610 पर अपना कब्जा काश्त होना बताया है [illegible] कब्जे बाबत ऐसा कोई [illegible] पेश नहीं किया जिससे प्रार्थी का दस्तावेजी साक्ष्य व [illegible] है जिससे प्रार्थी-अप्रार्थी विवादित आराजी [illegible] है यह बात पत्र प्रस्तुत किया ही की भूमि को हड़पने की [illegible] पर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है प्रार्थी का विवादित आराजी

लगातार-5

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...र्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA
... होने के कारण खारिज किया जाता नामांकित

क्रियात्मक आदेश

...परोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत होने
...कारण खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया जाकर
...खा गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner